न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, मुंगेर।

एस0 टी0 – 165/2021
(धरहरा थाना कांड संख्या – 64/2017 से उत्पन्न)

रणवीर शर्मा एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
23.04.2022	वाद के दोनों अभियुक्त रणवीर शर्मा एवं हीरा शर्मा की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन है। न्यायालय की कार्रवाई वचुर्वल मोड में चल रही है। स्टूडियो बेस्ड कोर्ट रुम में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। दोनों आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.03.2022 के अन्तर्गत 228 सी0आर0पी0सी0 को प्रचालित करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत वाद में सत्र न्यायालय द्वारा विचारनीय अपराध का मामला नहीं बनता है। धारा 307 भा0द0वि0 आकर्षित नहीं होती है क्योंकि जख्म प्रतिवेदन में सिर्फ abrasion पाया गया है एवं जख्म की प्रकृति साधारण पायी गई है। कांड की कंडिका – 18, 19 एवं 20 से स्पष्ट होता है कि सिर्फ भय पैदा करने हेतु फायरिंग की गई थी। घटनास्थल पर फायरिंग का कोई निशान नहीं पाया गया है और ना ही कोई गोली बरामद की गई है। वाद में सत्र न्यायालय द्वारा विचारनीय अपराध नहीं बनता है। अतः अभिलेख विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रेषित किया जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करते हैं कि आवेदन पोषणीय नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। निम्न न्यायालय ने कांड दैनिकी में पर्याप्त सामाग्री पाते हुए भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम में संज्ञान लिया है। कांड दैनिकी में साक्षियों ने अपने–अपने बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है। अभिलेख पर आरोप गठन का पर्याप्त आधार है। अतः बचाव पक्ष का आवेदन अस्वीकृत किया जाय। सुना। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक ने आवेदकगण के विरुद्ध इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी है कि दिनांक 11.05.2017 को लगभग 4–5 बजे शाम में आवेदकगण सूचक को गाली देते हुए मारपीट करने लगे एवं लाठी, डंडा, ईट–पत्थर से हमला कर दिया, जिससे सूचक के आंख के नीचे चोट आयी। अभियुक्त हीरा शर्मा अपने छत पर से 4–5 गोली	

<u>लगातार...</u> **23.04.2022**	जान मारने के नियत से चलाया। रात में भी डर पैदा करने हेतु कई चक्र गोली चलाया। कांड दैनिकी की कंडिका– 05 में वादी का पुनः बयान एवं 6, 7 में अन्य साक्षियों का बयान है, जिन्होंने प्राथमिकी का समर्थन करते हुए सूचक को जान मारने के नियत से गोली फायर करने की बात कही है। कांड दैनिकी की कंडिका– 27 में जख्म प्रतिवेदन है एवं अनुसंधान पश्चात् अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम में आरोप पत्र समर्पित किया गया है एवं इन्हीं धाराओं में संज्ञान लिया गया है। न्यायालय के विचार से यहां अभियुक्त पक्ष द्वारा गोली चलायी जाने की बात आती है एवं साक्षियों द्वारा कहा गया है कि जान मारने की नियत से गोली चलायी गई। ऐसी स्थिति में वाद में धारा 307 भा0द0वि0 स्पष्ट रुप से आकर्षित होती हुई प्रतीत होती है। कांड दैनिकी में उपलब्ध सामाग्री के आधार पर न्यायालय पाता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदकगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम में आरोप गठन का पर्याप्त आधार उपलब्ध है। उपरोक्त तथ्य परिस्थिति के आलोक में आवेदकगण का उपरोक्त आवेदन दिनांक 25.03.2022 अन्तर्गत धारा 228 सी0आर0पी0सी0 अस्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 17.05.2022 वास्ते आरोप गठन। लेखापित अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, मुंगेर। 23.04.2022.	